दिनांक 18.05.2021 को माननीय मंत्री कृषि की अध्यक्षता में उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का Zoom App द्वारा समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :– Zoom App में Recorded पदाधिकारीगण।

सर्वप्रथम सचिव, कृषि द्वारा माननीय मंत्री कृषि से समीक्षात्मक बैठक प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त कर बैठक की कार्रवाई प्रारंभ किया गया है। सचिव, कृषि द्वारा माननीय मंत्री कृषि को अवगत कराया गया कि आज उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के समीक्षा बैठक में निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक, संयुक्त निदेशक उद्यान, उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय) सहायक निदेशक उद्यान, (मुख्यालय) के साथ–साथ जिला के सहायक निदेशक उद्यान भी Zoom के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक में भाग ले रहे है। योजनाओं का अद्यतन प्रगति का PPT भी माननीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा समीक्षा के क्रम में प्राप्त निदेशों को नोट किया जायेगा। तत्पश्चात सचिव कृषि द्वारा निदेशक उद्यान को योजनावार समीक्षा के मिनट–टू मिनट कार्यक्रम को संक्षिप्त में बताने का निदेश दिया गया।

निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित महत्वपूर्ण योजनाओं यथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop), राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, एकीकृत उद्यान विकास योजना, बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास कार्यक्रम, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति–2020 तथा PMFME योजनाओं का PPT के माध्यम से संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/TSG द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। समीक्षा के क्रम में आवश्यकतानुसार जिले के सहायक निदेशक उद्यान से पृच्छा किया जायेगा। पुनः निदेशक उद्यान द्वारा मिनट–टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार योजनाओं के नोडल पदाधिकारी को योजना की अद्यतन स्थिति का प्रस्तुतीकरण करने का निदेश दिया गया, जो निम्नवत् है।

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) –: नोडल पदाधिकारी श्री अभांशु सी.जैन, संयुक्त निदेशक उद्यान, द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के जिलावार संसूचित लक्ष्य के आलोक में अद्यतन उपलब्धि के बारे में जानकारी देने के क्रम में ही माननीय मंत्री कृषि द्वारा निम्न पृच्छा किया गया

- प्रतिवेदन अवयवार (Component wise) नहीं है।

योजना अन्तर्गत लाभुक चयन की प्रक्रिया, सिंचाई पद्यति के प्रतिष्ठापन करने वाले कम्पनियों का चयन प्रक्रिया एवं लाभुकों को भुगतान की प्रक्रिया का समावेश प्रतिवेदन में नहीं है, जिसे आगे ध्यान रखा जायेगा।

माननीय मंत्री कृषि के पृच्छा तथा सचिव कृषि, के निदेश के आलोक में नोडल पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के बारे में संक्षेप में बताया गया तथा आगे से अवयवार विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने को स्वीकारा गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) उपलब्धि 2020-21

क्र. सं०.	जिला	लक्ष्य(एकड़ में)	कुल अधिष्ठापित	कुल अधिष्ठापित रकवा (एकड़ में)	कुल अधिष्ठापित अनुदान (लाख में)	उपलब्धि	
						प्रतिशत	Rank
1	किशनगंज	370.88	92	481.29	166.08	129.77	1
2	सुपौल	83.6	38	88.45	36.86	105.80	2
3	रोहतास	144.4	60	137.43	67.31	95.17	3
4	गोपालगंज	144.4	63	132.59	58.62	91.82	4
5	जमुई	121.6	46	103.53	46.85	85.14	5
6	वैशाली	243.2	29	48.6	23.66	19.98	34
7	दरभंगा	136.8	13	24.34	11.32	17.79	35
8	कटिहार	129.2	16	21.6	9.95	16.72	36
9	अरवल	83.6	5	10.15	4.57	12.14	37
10	जहानाबाद	155.8	14	12.76	6.61	8.19	38

जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के आलोक में सबसे कम उपलब्धि हासिल करने वाले पाँच जिलों के सहायक निदेशक उद्यान से कम उपलब्धि के कारणों का समीक्षा किया गया, जो निम्नवत् है।

i जहानाबाद :– सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया की कृषक अंश अभी तक जमा नहीं हो पाया है। कृषकों का कहना है कि धान, गेहूँ खेत में लगा हुआ है। उसके कटाई के बाद ड्रिप लगाएगे।

ii अरवल :–सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि कम्पनी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। 45 दिन पहले कृषक अंश जमा किया गया है।

iii कटिहार :– सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार द्वारा बताया गया कि 16 एकड़ का कृषक अंश जमा है। मक्का के कटाई उपरांत installation का कार्य हो जायेगा।

iv दरभंगाः– आवेदन कितने एकड़ का आया है, से सम्बंधित सही जानकारी नहीं दिया गया। जो यह स्पष्ट करता है कि समीक्षा की पूरी तैयारी नहीं है।

v वैशाली :– बताया गया की कुल 56 एकड़ का work order दिया गया है तथा जैविक corridor को इस योजना से जोडने का कार्य भी किया जा रहा है। उपलब्धि हासिल कर लिया जायेगा।

संबंधित सहायक निदेशक उद्यान का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसी क्रम में अच्छा कार्य कर उपलब्धि हासिल करने वाले दो जिला यथा सुपौल एवं जमुई के सहायक निदेशक उद्यान से भी पूछ–ताछ किया गया है। सहायक निदेशक उद्यान सुपौल द्वारा बाताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में सरकारी संस्थाओं जैसे कृषि महाविद्यालय/K-V-K- तथा सरकारी नर्सरियों में ड्रीप पद्यति लगाया गया साथ ही साथ कृषि चौपाल अथवा कृषकों के बीच लगातार बैठक कर योजना की जानकारी दिया गया, जिसके कारण हमारा उपलब्धि अच्छा हुआ है। सहायक निदेशक उद्यान जमुई द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम बड़े–बड़े जोत वाले कृषकों को Target किया गया जो Demonstration के रूप में कार्य किया, बाद में उन कृषकों के देखकर अन्य कृषक भी प्रभावित हुए और योजना से जुड़ते गये।

कम उपलब्धि हासिल करने वाले पाँच जिला यथा–जहानाबाद, अरवल, कटिहार, दरभंगा एवं वैशाली का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया और इन जिला के सहायक निदेशक उद्यान को कारण पृच्छा पूछने का निदेश माननीय मंत्री कृषि द्वारा दिया गया। इसी क्रम में सचिव, कृषि द्वारा अच्छे कार्य करने वाले सहायक निदेशक उद्यान से सिखने का सलाह दिया गया। सचिव, कृषि द्वारा माननीय मंत्री को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) में L-P-C- की अनिवार्यता भी कम उपलब्धि का कारण है, क्योंकि जिला में L-P-C- बनाने में कृषकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस योजना में L-P-C- की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। जिस पर माननीय मंत्री कृषि द्वारा सहमति प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन –: सहायक निदेशक उद्यान (मुख्यालय) डॉ० अमरजीत कुमार राय द्वारा योजना की अद्यतन प्रगति जिलावार प्रस्तुत किया गया। **इसी क्रम में माननीय मंत्री कृषि, द्वारा पुनः पृच्छा किया गया कि प्रतिवेदन जिलावार एवं अवयवार नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाय कि उद्यानिक फसलों का पौध सामग्री (Planting material) की उपलब्धता कहाँ से एवं कैसे सुनिश्चित किया जाता है।**

पौध सामग्रियों की उपलब्धता के संबंध में निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि T-C केला के पौध सामग्री निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता का चयन कर तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के T-C Lab में तैयार पौधा से तथा आम, अमरूद, लीची इत्यादि की उपलब्धता जिले में अवस्थित सरकारी प्रखंड नर्सरियों/प्रोजनीबाग एवं COE देशरी वैशाली में तैयार पौधों के अलावे बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर उद्यान संभाग से उपलब्ध कराया जाता है।

डॉ० अमरजीत कुमार राय, सहायक निदेशक उद्यान (मुख्यालय) द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना वर्ष 2020–21 में कुल वित्तीय लक्ष्य 5461.11175 लाख रू० के विरूद्ध 3476.53 लाख की उपलब्धि है। जिलावार उपलब्धि का प्रतिशत 97.94% (मुजफ्फरपुर) से लेकर 35.20% (बाँका) है। सबसे कम उपलब्धि वाले जिला बाँका के सहायक निदेशक उद्यान से कम उपलब्धि के कारणों के संबंध में पूछा गया। उनके द्वारा बताया गया कि बाँका जिले में लेमनग्रास की खेती का 620 हे० का लक्ष्य है, जिसमें से मात्र 205 हे० की उपलब्धि हो सकती है। इस पर सचिव, कृषि द्वारा लेमनग्रास के लक्ष्य के संबंध में पुनः समीक्षा करने का निदेश निदेशक उद्यान को दिया गया।

सेब के HRMN-99 प्रभेद, जो हिमाचल प्रदेश के एक Innovator Mr. Hariman sharma द्वारा विकसित किया गया है और इसकी खेती Plair Area में भी आसानी से किया जा सकता है, से संबंधित जानकारी दिया

गया। यह भी बताया गया कि वर्तमान में बिहार के बेगूसराय, वैशाली, औरंगाबाद एवं भागलपुर जिला में सेब के HRMN-99 प्रभेद का Plantation किया गया है। माननीय मंत्री कृषि यह भी जानना चाहे कि सेब (HRMN-99) का पौध सामग्री कहाँ से प्राप्त होगा। इस पर स्पष्ट किया गया कि Innovator mr- Hariman sharma (H-P) से प्राप्त किया जायेगा। प्रति पौधा मूल्य अभी मालूम नहीं है।

माननीय मंत्री कृषि द्वारा निदेश दिया गया है साहाबाद के क्षेत्र में सेब के HRMN-99 प्रभेद का Plantation हेतु कार्य योजना तैयार किया जाय। यह एक Innovative कार्य होगा। सचिव कृषि द्वारा निदेश दिया गया कि सेब के Plantation को Exotic-Fruit & Vegetable की कार्ययोजना में शामिल किया जाय, तथा शाहाबाद क्षेत्र के सहायक निदेशक उद्यान को निदेश दिया गया कि सेब की खेती के बढ़ावा देने पर ध्यान देना सुनिश्चित करेगें।

एकीकृत उद्यान विकास योजना –: एकीकृत उद्यान विकास कार्यक्रम, सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का अद्यतन प्रगति के संबंध में श्री नितेश कुमार राय, उप निदेशक उद्यान (प्र० एवं मू०) द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया है।

एकीकृत उद्यान विकास योजना (2020–21) के तहत् शुष्क क्षेत्र में अनार, शरीफा, नींबू, मिठा निंबू (संतरा) एवं बेर फलों का प्रत्यक्षण का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। फसलवार भौतिक उपलब्धि निम्न प्रकार बताया गया है।

क्र०सं०	फसल	भौतिक (सं०)	भौतिक उपलब्धि	अभ्युक्ति
1	अनार	500	50	शेष लक्ष्य जून–जुलाई तक पूर्ण
2	शरीफा	150	103	
3	नींबू	400	257.83	
4	मीठा नींबू	200	90	
5	बेर	130	70	
कुल		1380	570.83	

माननीय मंत्री कृषि द्वारा यह पृच्छा किया गया कि पौधा की उपलब्धता कहाँ से किया जाता है। इस पर निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि सेंटर ऑफ एक्सिलेंस देशरी, वैशाली से उपलब्ध कराया जाता है। अनार की खेती के संबंध में निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि बिहार में अनार की खेती में कुछ समस्या आ रही है जैसे White Fly एवं Fruit borer के कारण अनार की गुणवत्ता प्रभावित होती है। माननीय मंत्री कृषि द्वारा यह निदेश दिया गया कि शाहाबाद जिला को भी शुष्क बागवानी योजना में शामिल किया जाय।

सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सब्जी), चंडी, नालन्दा एवं सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (फल), देशरी वैशाली में किये जा रहे कार्यों उसके मुख्य उद्देशय एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपलब्धि के बारे में विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री कृषि को दिया गया। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सब्जी एवं फल का मुख्य उद्देशय है उच्च तकनीकियों का प्रत्यक्षण, कृषकों को प्रशिक्षण एवं तकनीकियों का जानकारी देने के साथ–साथ गुणवत्तायुक्त पौध सामग्रियों का उत्पादन एवं अनुदानित दर पर वितरण करना है।

दोनों COE, चंडी एवं देशरी में Protected cultivation के तहत् shadenet house, Natural Ventilated Poly house, High ventilated tunnel, Hi-Tea poly house with Boom irrigation for nursery raising जैसे Structure बनाया गया है, जिसमें work plan के आलोक में पौध प्रसारण का कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में COE चण्डी द्वारा 16.2 लाख सब्जी पौध सामाग्री का उत्पादन किया गया तथा COE देसरी में 9.46 लाख फल के पौध तैयार कर विभिन्न जिलों में उपलब्ध कराया गया। COE चण्डी में 2073 कृषकों को प्रशिक्षण का कार्य किया गया साथ ही 3113 कृषकों का Exposure Visit कराया गया। COE देसरी में वर्ष 2020–21 में कुल 1230 कृषकों का प्रशिक्षण तथा 1824 कृषकों Exposure Visit कराया गया।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन –: राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अवयवों एवं सहायतानुदान के संबंध में सचिव, कृषि द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कुल 23 जिलों में कार्यान्वित किया जाता है, जबकि शेष 15 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तर्ज पर ही मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का कार्यान्वयन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के वित्तीय लक्ष्य 3670.85 लाख के विरूद्ध 1819.3 लाख (49.56%) उपलब्धि प्राप्त किया गया है। कम उपलब्धि वाले पाँच जिला यथा नालन्दा, जमुई, पटना, रोहतास एवं औरंगाबाद के सहायक निदेशक उद्यान से पृच्छा किया गया है। सभी संबंधित सहायक निदेशक

उद्यान द्वारा बताया गया कि FLD एवं मेंथा की खेती का भौतिक उपलब्धि के आलोक में भुगतान, वित्तीय वर्ष समाप्ति तक नहीं हो पाया है। मेंथा की खेती का भौतिक सत्यापन अप्रैल से मई में किया जाता है। तत्पश्चात भुगतान किया जायेगा। इसी कारण उपलब्धि कम हुआ है।

निदेशक उद्यान द्वारा भी इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि NHM योजना का द्वितीय किस्त मार्च के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसके कारण आवटन समय से जिला को नहीं जा सकता है, साथ ही साथ FLD एवं मेंथा की खेती के तहत् भुगतान नहीं होना भी एक कारण है।

माननीय मंत्री कृषि का निदेश –:

i) बिहार में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का निर्माण प्रमंडल स्तर पर करने का कार्ययोजना तैयार किया जाय।

ii) वर्तमान में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस देशरी एवं चंडी से कृषकों को पौध सामग्री की उपलब्धता Online प्रक्रिया के तहत् किया जाय।

iii) विभागीय नर्सरी का अतिक्रमण वाले नर्सरियों का अतिक्रमण मुक्त कराकर, सुदीकरण एवं गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री तैयार करने का कार्ययोजना तैयार किया जाय।

माननीय मंत्री कृषि द्वारा सेंटर ऑफ एक्सिलेंस देशरी का भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त किया गया। सचिव, कृषि ने Lockdown के बाद तिथि का निर्धारण करने का निदेश निदेशक उद्यान को दिया गया। सचिव, कृषि द्वारा प्राईवेट नर्सरियों के Grading करने तथा Nursery Policy के अनुमोदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु भी निदेशक उद्यान को कहा गया।

बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास कार्यक्रम –: नोडल पदाधिकारी डॉ० राकेश कुमार, उप निदेशक उद्यान द्वारा प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया गया कि बिहार के हर जिला में एक विशेष उद्यानिक फसल चिन्हित है। जिसका शत् प्रतिशत सद्पयोग एवं कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु उद्यानिक उत्पाद का FPC के माध्यम से Marketing Link करने की व्यवस्था है, ताकि कृषकों को अपने उत्पादन का अधिक मूल्य मिलने के साथ–साथ उन्हें स्वरोजगार भी मिल सकेगा।

इसी क्रम में सचिव, कृषि द्वारा माननीय मंत्री कृषि को बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास कार्यक्रम के बारे में Brief करते हुए बताया गया कि कृषि रोड मैंप (2017–22) में प्रत्येक जिला के लिए एक विशेष उद्यानिक फसल चिन्हित है। इसी के तहत् प्रथम चरण में 22 जिला में 15 चिन्हित उद्यानिक फसलों के तहत् 23 FPC का पंजीकरण का कार्य किया गया है। FPC के माध्यम से चिन्हित फसलों के उत्पाद का Value addition Processing कर Market Link किया जायेगा।

उप निदेशक उद्यान द्वारा योजना अन्तर्गत अद्यतन उपलब्धि के तहत् जानकारी दिया गया कि लक्ष्य के आलोक में चिन्हित फसल के तहत् 23 FPC का गठन का कार्य पूरा कर प्रथम चरण का प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिलावार चिन्हित फसल के बारे मे जिलावार जानकारी देने के क्रम में माननीय मंत्री कृषि द्वारा भोजपुर जिला के लिए चिन्हित फसल हरी मटर के बारे में निदेशक उद्यान का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया गया कि भोजपुर जिला में मटर की खेती पूर्व में होता था, परन्तु वर्तमान में मटर की खेती नहीं हो रही है। अतः कार्यान्वयन में ध्यान देने की आवश्यकता है। योजना अन्तर्गत न्यूनतम चिन्हित उद्यानिक फसलों का रकवा (50 हे०), Common facility center के निर्मा.I के तहत् Pack house के निर्माण की स्थिति, FPC के संचालन हेतु खाता खुलाने की स्थिति GAP के तहत् जैविक खाद्य एवं जैविक दवा के उपलब्धता के संबंध में जानकारी दिया गया। यह भी बताया गया कि इस योजना के तहत् प्रत्येक अवयव पर 90% सहायतानुदान दिया जाता है। फसलवार Value addition हेतु छोटी–छोटी मशीन चिन्हित है, जिसका Unit cost का निर्धारण राज्य स्तर पर निविदा के माध्यम से निर्धारित किया जाना है, जो अंतिम चरण में है।

बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति –: TSG प्रमुख राज्य बागवानी मिशन, श्रीमति पूजा शर्मा, द्वारा बताया गया कि BAIPP के तहत् कृषि एवं उद्यान के कुल सात sector यथा–मखाना, फल एवं सब्जियाँ, शहद, औषधीय एवं सुगंधित पौधा, चाय, मक्का, एवं बीज को चिन्हित किया गया है, इसके तहत् कोई Individual अथवा FPC, 0.25 करोड़ से 5 करोड़ तक का Project जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत् Individual को 15 प्रतिशत एवं FPC को 25% तक Capital subsidy दिये जाने का प्रावधान है।

योजना अन्तर्गत विभिन्न चिन्हित Sectors के तहत् अवतक प्राप्त Online आवेदनों में से कुल 15 आवेदनों को SIPB-I में approval दिया गया है। चार (4) आवेदन SIPB-I में approval की प्रक्रियाधीन है। SIPB-I में approved आवेदनों में से निम्न चार (4) आवेदनों का Project monitoring committee (PME) में अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

SN	Name of the unit	Sector	Product	Capacity	District	Project cost (in cr. Rs.)	Employment generation
1	Aarna Foods Pvt. Ltd.	Maize	Maize grit and flour	100 Ton / day	Patna	12.00	50-75
2	Siya Ram Spices	Spices	Haldi, Mirch, Cumin, Corriander & other spices powder	864 MT/annum	Begusarai	2.95	20
3	Suru Foods & Beverages Pvt. Ltd.	Fruits & Vegetables	Ready to serve beverages/juice	4.35 lakh litre/month	East Champaran	2.89	20
4	Damyanti Devi Agri Foods & Feeds Pvt Ltd	Maize	Cattle and Poultry feed	6-8 Ton /Hr	Saran	2.85	50

निवेशकों को सहायता हेतु चिन्हित सेक्टरों का Model DPR बनने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही साथ महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन तहत् वित्तीय वर्ष 2021–22 में लगभग 14 Crore का बजट अनुमोदन की प्रक्रिया में है, जिसके तहत् Capital Subsidy, IEC materials, Promotional event Superivision and monitoring visits, exposure visits and administrative exposure जैसे Components को शामिल किया गया है।

योजना के प्रचार–प्रसार एवं सही जानकारी देने के उद्देशय से सचिव, कृषि के अध्यक्षता में राज्य एवं जिला स्तर के Potential stakeholder यथा निदेशकों, बैंकर्स, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर के कृषि/उद्यान के पदाधिकारियों के साथ Zoom Meeting किया गया है। योजना का एक आकर्षक Brochure तैयार कर राज्य, प्रमंडल एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) -: निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि PMFME भारत सरकार की आत्म निर्भर भारत के तहत् एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के तहत् Individual enterprises का targets 2523 units निर्धारित है। पुनः TSG विशाल कुमार राज्य बागवानी मिशन द्वारा PMFME के अद्यतन प्रगति के बारे में माननीय मंत्री, कृषि को जानकारी दियेा गया कि इस योजना के तहत् छोटे–छोटे food Processing unit का इस योजना के तहत् बढ़ावा दिया जाना है, इसके लिए हर जिला में one District one crop को चिन्हित किया गया है। योजना का अवयवार उपलब्धि निम्नवत् बताया गया है।

S. No.	Broad Task	Achievement
1	Application for individual units (Food Processing Enterprises)	• Submitted- 29 • Draft- 153
2	Application for Seed Capita on NRLM Portal; Amount transferred to SRLM (JEEViKA)	• Seed capital disbursed for 140 SHG members to JEEViKA
3	DPR for Common Incubation Centre (CIF)	• DPR prepared for CIF at CoE Nalanda and CoE Vaishali • DPRs for CIF at National Research Cenre, Litchi, Muzaffarpur and Makhana Research Centre, Darbhanga to be prepared
4	Model DPRs for 23 ODOP	• DPR for ODOP products available with MoFPI • DPR for the remaining one product i.e. Betel vine under process by NIFTEM
5	Institutional set up (SLAC, SNA, SPMU, SLTI, DLC, DNO)	• Completed • ADHs are DNOs
6	Selection of District Resource Persons (DRPs)	• Applications received through advertisement-195 • Analysis and empanelment in process

अन्त में सचिव कृषि द्वारा उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के समीक्षात्मक बैठक को Table conclude करते हुए सभी सहायक निदेशक उद्यान को निदेश दिये कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे BAIPP PMFME, PMKSY (Per drop More Crop) बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास कार्यक्रम जैसे योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावे अन्य निदेश दिये गए।

i. PMKSY, (Per Drop More Crop) के वित्तीय वर्ष 2020–21 में खराब प्रर्शन करने वाले जिला के सहायक निदेशक उद्यान से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

ii. अन्य योजनाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले जिला अपनी उपलब्धि को बढ़ा लें जिसकी समीक्षा अगामी बैठक में किया जायेगा।

iii. PMKSY, (Per Drop More Crop) में LPC की अनिवार्यता समाप्ति का प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव Lockdown के बाद उपस्थापित किया जायेगा।

iv. अगले सप्ताह में NHM/CMHM की कार्ययोजना वर्ष 2021–22 का प्रस्ताव मंत्री परिषद भेजने की तैयारी किया जाय।

उपर्युक्त निदेश के साथ ही सचिव, कृषि ने माननीय मंत्री, कृषि से समीक्षा बैठक के संबंध में आवश्यक निदेश देने हेतु अनुरोध किया गया ।

माननीय मंत्री का निदेश –:

i. बजट के Outlay बढ़ाने से संबंधित योजना तैयार किया जाय।

ii. सरकारी नर्सरियों के सुद्धीकरण एवं Outservcing के आधार पर पौध सामग्री तैयार करने की योजना तैयार किया जाय।

iii. COE में seedling की उपलब्धता Online प्रणाली के तहत् करने की व्यवस्था किया जाय।

iv. उत्पादित सभी प्रकार के फलों के विपणन हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाय।

v. योजना के कार्यान्वयन एवं अन्य कार्य हेतु निदेशालय स्तर पर की गई निर्णय से मंत्री कोषांग को भी अवगत कराया जाय।

vi. कृषि कैडर के स्थायी रिक्तियॉ को भरने की प्रक्रिया शीघ्र किया जाय।

vii. दिनांक 18.05.2021 को हिन्दुस्तान में उद्यान से संबंधित खबर के आलोक में संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान को कार्रवाई हेतु निदेशित किया जाय।

viii. अखबारों में खबर अधिकृत श्रोतों से ही दिया जाय।

ix. निर्धारित लक्ष्य के आलोक में उपलब्धि स–समय करने की आवश्यकता है, ताकि सही परिणाम प्रलक्षित हो सकेगा।

x. अवयवार प्रगति की प्रतिवेदन एवं समीक्षा किया जाय ताकि छोट–छोटे कठिनाईयो की जानकारी हो सकेगा तथा इसका निराकरण किया जायेगा।

xi. समीक्षा बैठक की कार्रवाई लगातार होना चाहिए।

अन्त में माननीय मंत्री, कृषि से आदेश प्राप्त कर उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स–धन्यवाद देते हुए सचिव कृषि द्वारा बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा किया गया।

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–13/उ०नि०–57/2020 1306 /NHM, पटना, दिनांक 17 जून, 2021

प्रतिलिपि :– सबंधित पदाधिकारी/प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।